

वयिना अभसिमय

खालसितान समर्थकों द्वारा लंदन स्थिति उच्चायोग में भारतीय ध्वज को उतारने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटन के "वरषिष्ठतम" राजनयिक, उप-उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें वयिना अभसिमय के तहत यूनाइटेड किंगडम की सरकार को बुनियादी दायित्वों की याद दलाई।

राजनयिक संबंधों पर वयिना अभसिमय

- 14 अप्रैल, 1961 को वयिना, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राजनयिक समागम और प्रतिक्रिया पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अभसिमय को स्वीकृत किया गया था। भारत ने अभसिमय की पुष्टि कर दी है।
- यह 24 अप्रैल, 1964 को लागू हुआ और लगभग सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है, लेकिन पलाऊ और दक्षिण सूडान इसके अपवाद हैं।
- यह विशेष नियम - विशेषाधिकार और प्रतिक्रिया निर्धारित करता है, जो राजनयिक मशिनों को स्थानीय कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से जबरदस्ती या उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने और उन्हें भेजने वाली सरकारों के साथ सुरक्षा रूपांतरण से संवाद करने में सक्षम बनाता है।
- यह किसी अभियान की वापसी के संदर्भ में प्रावधान करता है, जो आर्थिक या भौतिक सुरक्षा के आधार पर हो सकता है, यह राजनयिक संबंधों के उल्लंघन के संदर्भ में जो प्रतिक्रिया के दुरुपयोग या राज्यों के मध्य संबंधों में गंभीर गरिबट के प्रत्युत्तर में हो सकता है।
 - "रिसीविंग राज्य" उस मेज़बान देश को संदर्भित करता है जहाँ राजनयिक मशिन स्थिति है।
- इनमें से किसी भी मामले में या जहाँ स्थायी मशिन स्थापित नहीं किये गए हैं, प्रत्येक भेजने वाले राज्य के हितों के लिये एक रूपरेखा प्रदान की जाती है ताकि किसी तीसरे राज्य से प्राप्तकर्ता राज्य को संरक्षित किया जा सके।
- यह एक राजनयिक मशिन की "अनुल्लंघनीयता" की अवधारणा की पुष्टि करता है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिकी स्थायी आधारशलाओं में से एक रहा है।
- मूल रूप से किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा मेज़बान देश की ज़िम्मेदारी होती है। अतः मेज़बान देश सुरक्षा हेतु जवाबदेह होता है। हालाँकि राजनयिक मशिन भी अपनी स्वयं की सुरक्षा को नियोजित कर सकते हैं।
 - उच्चायोग और दूतावास के बीच मुख्य अंतर यह है कि वहाँ स्थिति है। [राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों](#) को उच्चायोग द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जबकि शेष वशिव को दूतावास द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस